Annexure

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

The MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY OF THE

REPUBLIC OF INDIA

AND

THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY OF THE HELLENIC REPUBLIC

ON

CO-OPERATION IN THE FIELD OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

The Ministry of New and Renewable Energy of the Republic of India and the Ministry of Environment and Energy of the Hellenic republic (hereinafter referred to as the "Parties" and individually as the Party"),

Having identified New and Renewable Energy as a common area of interest;

Desiring to establish Cooperation between the Indian and Hellenic entities with the aim of developing New and Renewable Energy Technologies,

HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDING:

ARTICLE I
OBJECTIVE

The objective of this Memorandum of Understanding (MoU) is to establish the basis for a cooperative institutional relationship to encourage and promote bilateral technical cooperation on new and renewable energy on the basis of mutual benefit, equality and reciprocity between the Parties.

ARTICLE II
AREAS OF COOPERATION

The Parties will, subject to their legislation in force and in accordance with their relevant national policies, shall endeavor to promote their cooperation in the field of new and renewable energy. The areas of cooperation will focus on development of new and renewable energy technologies, viz.

a) Solar Energy
b) Small Hydro
c) Biomass/ Bio-energy

d) Capacity building
e) Wind Energy

ARTICLE III
MODALITIES OF COOPERATION

Cooperation under this Memorandum of Understanding may take the following forms:

a) Exchange and training of scientific and technical personnel;
b) Exchange of available scientific and technological information and data;
c) Organization of workshops, seminars and working groups;
d) Transfer of equipment, know-how and technology on non-commercial basis;
e) Development of joint research or technical projects on subjects of mutual interest; and
f) Other modalities as may be decided upon by the Parties.

ARTICLE IV
JOINT WORKING GROUP

In order to coordinate the above mentioned activities and to decide upon project proposals related to the design and development of new and renewable energy technologies, the Parties will establish a "Joint Working Group" (JWG) with the following functions:-

a) Identification of areas of mutual interest and cooperation for the development of new and renewable energy technologies, systems and sub-systems, devices, components etc.;
b) Monitoring and evaluating cooperation activities; and
c) Any other activity as may be agreed upon by the Parties in writing.

The Parties will designate one main representative each to the Joint Working Group for the aforesaid activities. The Joint Working Group will to the extent possible conduct the work through electronic communication, but meet alternately in India and Greece, whenever considered necessary.

The Joint Working Group can co-opt other members from scientific institutions, research centres, universities or any other entity, as and when considered essential.

ARTICLE V
FINANCING

Each party shall bear its own costs in connection to the application of the present MoU, unless otherwise agreed by the Parties on a case-by-case basis.

ARTICLE VI
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute concerning the interpretation or application of this MOU shall be settled amicably through mutual consultation and / or negotiations between the Parties.

ARTICLE VII
AMENDMENTS

This Memorandum of Understanding may be amended upon written agreement of the Parties, which shall enter into force in accordance with the Article VIII below.

ARTICLE VIII
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This MoU shall enter into force on the date of the last of the two notifications, by which the Parties inform each other, in writing and through diplomatic channels, of the completion of any internal legal procedures required for its entry into force.

2. It shall remain in force for a period of five (5) years and shall thereafter be automatically renewed for further five (5) year periods, unless either Party decides to terminate it at any moment, by a written notification sent to the other Party through diplomatic channels. In such case, the MoU shall cease to be in force three (3) months after the date of the receipt of the notification of termination.

3. The termination of this MoU shall not affect the validity and implementation of any ongoing programme or project undertaken within its framework.

IN WITNESS THERE OF, the undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

Signed at New Delhi on this day 27th of November 2017 in two (2) originals, each in the Hindi, Greek and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For the Ministry of New and Renewable Energy of the
Republic of India

For the Ministry of Environment and Energy of the Hellenic Republic

भारत गणराज्य के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
और
यूनानी गणराज्य के पर्यावरण मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय
के बीच
नवीन और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग का
समझौता ज्ञापन

भारत गणराज्य के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और यूनानी गणराज्य के पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रालय (जिन्हें इसके पश्चात् "पक्षों" और व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" कहा गया है), रूचि के एक सामान्य क्षेत्र के रूप में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा की पहचान के बाद;

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास के उद्देश्य से भारतीय और यूनानी संस्थाओं के बीच सहयोग स्थापित करने की इच्छा रखते हुए,

निम्नलिखित समझौते पर पहुंचे हैं:

अनुच्छेद-I
उद्देश्य

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य पक्षों के बीच परस्पर लाभ, समानता और पारस्परिकता के आधार पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर द्विपक्षीय तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए सहकारी संस्थागत रिश्तों का आधार स्थापित करना है।

अनुच्छेद- II
सहयोग के क्षेत्र

दोनों पक्ष अपने कानून के अधीन और अपनी प्रासंगिक राष्ट्रीय नीतियों के अनुसार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपने सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे।

सहयोग के क्षेत्र, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करेंगे, जैसे-

क) सौर ऊर्जा

ख) लघु पनबिजली

ग) बायोमास/बायो ऊर्जा

घ) क्षमता निर्माण

ङ) पवन ऊर्जा

अनुच्छेद- III

सहयोग की रूपरेखा

इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सहयोग की निम्नलिखित रूपरेखा हो सकती है:

क) विनिमय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मियों का प्रशिक्षण;

ख) उपलब्ध वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी का विनिमय;

ग) कार्यशालाओं, सेमिनार और कार्य समूहों का आयोजन;

घ) गैर-पारंपरिक आधार पर प्रौद्योगिकी, उपकरण और जानकारी का हस्तांतरण;

ङ) पारस्परिक हित के उद्देश्य से संयुक्त अनुसंधान या तकनीकी परियोजनाओं का विकास; और

च) दोनों पक्षों द्वारा निश्चित की गई अन्य रीतियां।

अनुच्छेद- IV

संयुक्त कार्य दल

ऊपर वर्णित कार्यकलापों का समन्वय करने और नवीन और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अभिकल्पन और विकास से संबंधित परियोजना प्रस्तावों पर निर्णय लेने के उद्देश्य से दोनों पक्षों द्वारा एक "संयुक्त कार्यदल (जेडब्ल्यूजी) की स्थापना की जाएगी जिसके निम्नलिखित कार्य होंगे :-

क) नवीन और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, प्रणालियों और उप-प्रणालियों, उपकरणों, संघटकों आदि के विकास हेतु परस्पर हित और सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करना;

ख) सहयोगात्मक कार्यकलापों का अनुश्रवण और मूल्यांकन करना; और

ग) दोनों पक्षों द्वारा लिखित में हुई सहमति के अनुसार कोई अन्य कार्यकलाप ।

दोनों पक्षों द्वारा उपर्युक्त कार्यकलापों के लिए संयुक्त कार्यदल में एक-एक मुख्य प्रतिनिधि को नामित किया जाएगा। संयुक्त कार्यदल द्वारा यथासंभव इलैक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से कार्य किए जाएंगे, लेकिन जब कभी आवश्यक समझा जाए, तो इसकी बैठक भारत और ग्रीस में बारी-बारी से हो सकती है।

संयुक्त कार्यदल द्वारा वैज्ञानिक संस्थानों, अनुसंधान केन्द्रों, विश्वविद्यालयों अथवा अन्य किसी संस्था से जब भी आवश्यक समझा जाए, दूसरे सदस्यों को सह-योजित किया जा सकता है ।

अनुच्छेद- V

वित्त–पोषण

दोनों पक्षों द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर जब तक अन्य किसी रूप में सहमति न हुई हो प्रत्येक पक्ष इस समझौता ज्ञापन के अनुप्रयोग के संबंध में अपने खर्चों का वहन करेगा।

अनुच्छेद- VI

विवादों का निपटान

इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या अथवा अनुप्रयोग से संबंधित किसी विवाद का निपटान पारस्परिक दोनों पक्षों के बीच पारस्परिक विचार-विमर्श और/अथवा वार्ता के माध्यम से सौहार्दपूर्वक किया जाएगा।

अनुच्छेद- VII

संशोधन

इस समझौता ज्ञापन को पक्षों की लिखित सहमति पर संशोधित किया जा सकता है, जो नीचे अनुच्छेद-VIII के अनुसार लागू होगा।

अनुच्छेद-VIII

लागू होना, अवधि और समापन

1. यह समझौता ज्ञापन उन दो अंतिम अधिसूचनाओं के जारी होने की तारीख से लागू होगा जिसके द्वारा दोनों पक्ष एक-दूसरे को लिखित में और राजनयिक चैनलों के माध्यम से इस समझौता ज्ञापन के लागू होने के लिए आवश्यक आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिए जाने के संबंध में सूचित करेंगे।

2. यह समझौता ज्ञापन पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगा और उसके पश्चात् स्वत: अगले पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए नवीकृत हो जाएगा बशर्ते कि कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष को राजनयिक चैनलों के माध्यम से भेजी गई लिखित अधिसूचना द्वारा किसी भी समय इस करार को निरस्त करने का निर्णय नहीं ले लेता है। ऐसे मामले में यह समझौता ज्ञापन इसे निरस्त किए जाने संबंधी अधिसूचना के प्राप्त होने की तारीख के पश्चात् तीन (3) माह में कार्य करना अमान्य हो जाएगा।

3. इस समझौता ज्ञापन को निरस्त किए जाने से इसके दायरे के अंतर्गत किसी चल रहे कार्यक्रम अथवा आरंभ की गई परियोजना की वैद्यता और कार्यान्वयन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जिसके साक्ष्य स्वरूप, अधोहस्ताक्षरकर्त्ताओं, जिन्हें उनकी संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया गया है, द्वारा इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

New Delhi में November के 27 दिन हिंदी, ग्रीक और अंग्रेजी भाषाओं में से प्रत्येक में दो (2) मूल प्रतियों में हस्ताक्षरित जिसके सभी पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं । व्याख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

भारत गणराज्य के नवीन और
नवीकरणीय मंत्रालय की ओर से

यूनानी गणराज्य के पर्यावरण और
ऊर्जा मंत्रालय की ओर से